

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 523
25 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

गोरान्तला जल परियोजना

523. श्री केसिनेनी शिवनाथ:

क्या *आवासन और शहरी कार्य* मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अमृत मिशन के अंतर्गत गोरान्तला जल परियोजना के लिए आवंटित निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत पूरे किए जाने वाले विभिन्न घटकों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इनकी वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या निर्माण के लिए अपेक्षित आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत निधियां सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को स्वीकृत/जारी की जाती हैं, न कि परियोजना-वार। अमृत योजना के तहत जिलों, शहर या शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का आवंटन संबंधित राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गोरान्तला जलापूर्ति परियोजना की लागत 33.53 करोड़ रुपये है, जिसमें 10.37 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता (सीए) शामिल है और परियोजना प्रगति पर है।

(ख): राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परियोजना के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- पंपिंग मेन 800 मिमी व्यास - 10.14 किमी
- ग्रेविटी मेन 500 मिमी व्यास - 2.00 किमी
- जीएलएसआर - 4200 केएल
- जीएलबीआर - 600 केएल

पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा की गई प्रगति निम्नानुसार है:

- वर्ष 2021-22 के दौरान: जीएलएसआर और जीएलबीआर वाला पूरी हुई।
- वर्ष 2022-23 के दौरान:
 - 800 मिमी व्यास की डीआई पाइपलाइन- 2023.30 मीटर पूर्ण।
 - 500 मिमी व्यास डीआई ग्रेविटी मेन - 1679 मीटर पूर्ण।
 - आटो नगर रेलवे गेट और इनर रिंग रोड फेज-1 रोड क्रॉसिंग पर रेलवे क्रॉसिंग का काम पूरा हो गया है।
- वर्ष 2023-24 के दौरान: कार्य में कोई प्रगति नहीं

(ग) और (घ) : राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गुंटूर नगर निगम ने निजी भूमि मालिकों से निर्माण उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि के लिए बातचीत की और पांडुला कॉलोनी में तक्केलापाडु डब्ल्यूटीपी से गोरंतला पाइपलाइन तक 800 मिमी व्यास की पाइपलाइन बिछाई। इसके अतिरिक्त, आटो नगर रेलवे गेट में इनर रिंग रोड फेज-1 के किनारे निजी भूमि मालिकों की सहमति से पाइपलाइन बिछाई गई और बिना किसी आपत्ति के पूरा किया गया।
